

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-01 / 108 / स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक : 21, जुलाई, 2015

अनुरोध(पति-पत्नी)स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/ 2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(क)(पति-पत्नी) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनीता चौहान	रा0प्रा0वि0 समाल्टा	कलसी	D	रा0प्रा0वि0 कुडियाल	रायपुर	D
2	अनुराधा गर्ग	रा0प्रा0वि0 हरिपुर कालसी	कलसी	C	रा0प्रा0वि0 शंकरबाग	सहसपुर	D
3	लीना सिंह	रा0प्रा0वि0 नेवी	कलसी	D	रा0प्रा0वि0 मटकमाजरी	विकासनगर	D

M. K. S.
(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)-01 / 1765-79 / स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित. कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत स्थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

o/c

M. K. S.
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-01 / 109 / स्थाना0(प्रा0वि0) / 2015-16, दिनांक 21, जुलाई, 2015

अनुरोध(विकलांग शिक्षक)स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(ख)(विकलांग शिक्षक) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नीलम शर्मा	रा0प्रा0वि0 मोरोवाला	विकासनगर	C	रा0प्रा0वि0 निरंजनपुर	रायपुर	A

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)-01 / 1778-85 / स्थाना0(प्रा0वि0) / 2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोंपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

0/C

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-01/ 110 /स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक 21 जुलाई, 2015

अनुरोध(गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक)स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन-माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(ग)(गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	निर्वेदिता नेगी	रा0प्रा0वि0 गोपीवाला अनारवाला	सहसपुर	B	रा0प्रा0वि0 ननूरखेडा	रायपुर	A	औपबन्धिक
2	अंजु देवी	रा0प्रा0वि0 सवाई	कालसी	E	रा0प्रा0वि0 पटेलनगर	रायपुर	A	
3	सविता चौहान	रा0प्रा0वि0 ददौली माटला	कालसी	D	रा0प्रा0वि0 मेहुवाला	रायपुर	B	औपबन्धिक
4	विकास कुमार	रा0प्रा0वि0 गौठाड	चकराता	E	रा0प्रा0वि0नं0-2, ऋषिकेश	डोईवाला	A	औपबन्धिक

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)-01/ 1786-92 /स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत स्थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-01/ 112 / स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक 21, जुलाई, 2015

अनुरोध(से0नि0 के तीन वर्ष या उससे कम) स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(ड)(से0नि0 में तीन वर्ष या उससे कम अवधि शेष वाले शिक्षक) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती लक्ष्मी राणा	रा0प्रा0वि0 नौगांव	सहसपुर	C	रा0प्रा0वि0 डाण्डालखौंड,	रायपुर	B
2	सविता अग्रवाल	रा0प्रा0वि0 फतेहपुर	विकासनगर	B	रा0प्रा0वि0 सेलाकुई	सहसपुर	B
3	रविन्दर कौर	रा0प्रा0वि0 बाड़वाला	विकासनगर	C	रा0प्रा0वि0 माजरा-1	रायपुर	A

(पदमेन्द्र सकलमनी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)-01/ 1802-1809/स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत स्थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोंपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-01/ 113 /स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक 21, जुलाई, 2015

अनुरोध(विधवा,तलाकशुदा एवं परित्यक्ता शिक्षक) स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(च)(विधवा,तलाकशुदा एवं परित्यक्ता शिक्षक) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनामिका दरमोड़ा	रा0क0प्रा0वि0 बड़कोट	डोईवाला	C	रा0प्रा0वि0 नकरौंदा	डोईवाला	B
2	नीलम नेगी	रा0प्रा0वि0 जूलो	सहसपुर	C	रा0प्रा0वि0 कांवली-1	रायपुर	A
3	वर्षा रानी	रा0प्रा0वि0 सहसपुर 2	सहसपुर	B	रा0प्रा0वि0 आर्यनगर, न0क्षे0	रायपुर	A
4	कला शर्मा	रा0प्रा0वि0 हिन्दूवाला	विकासनगर	C	रा0प्रा0वि0 कारगी-2	रायपुर	A
5	इला उपाध्याय	रा0प्रा0वि0 बोहरी	कालसी	E	रा0प्रा0वि0 लक्खीबाग	रायपुर	A
6	श्रीमती अनुपमा राणा	रा0प्रा0वि0 रामडुगा	चकराता	E	रा0प्रा0वि0 कोल्हूपानी	सहसपुर	B

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)-01/ 1810-17 /स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

OIC

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-01 / 114 / स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक 21, जुलाई, 2015

अनुरोध(X क्षेत्र से X क्षेत्र हेतु) स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(छ)(X क्षेत्र के C से B हेतु) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शिवकुमार तोमर	रा0प्रा0वि0 उस्मानपुर	सहसपुर	C	रा0प्रा0वि0 सिंघली	सहसपुर	B
2	नीता गुप्ता	रा0प्रा0वि0 कालसी बाजार (बालक)	कालसी	C	रा0प्रा0वि0 डाकपत्थर	विकासनगर	C
3	सुनीता	रा0प्रा0वि0 हरिपुर	कालसी	C	रा0प्रा0वि0 मोहबेवाला	रायपुर	B
4	चन्द्रकला थापा	रा0प्रा0वि0 हरिपुर कालसी	कालसी	c	रा0प्रा0वि0 आमवाला	सहसपुर	C

(Handwritten Signature)
(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)-01 / 1018-25 / स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत स्थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

0/C

(Handwritten Signature)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-01/ 115 /स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक 21, जुलाई, 2015

अनुरोध(X क्षेत्र से Y क्षेत्र हेतु) स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-10-2(क)(X से Y हेतु) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी
1	2	3	4		5	6	
1.	बलवन्त सिंह	रा0प्रा0वि0 अपर जौली	डोईवाला	C	रा0प्रा0वि0 बमेत	डोईवाला	D
2	सरोज शर्मा	रा0प्रा0वि0 कुल्हाल	विकासनगर	C	रा0प्रा0वि0 मुण्डियावाली	विकासनगर	D
3	राजकिशोर	रा0प्रा0वि0 रामगढ़	विकासनगर	C	रा0प्रा0वि0 मटकमाजरी	विकासनगर	D
4	प्रमिला घिल्डियाल	रा0प्रा0वि0 फतेहपुर	विकासनगर	B	रा0प्रा0वि0 केदारावाला	विकासनगर	D
5	श्रीमती सुधा राठौर	रा0प्रा0वि0 कालसी जंगलांत	विकासनगर	C	रा0प्रा0वि0 कुन्जा	विकासनगर	D

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

पू0सं0: प्र0राज(बे0)-01/ 1826-33 /स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत स्थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोंपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

b/c

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-01/ 116 /स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक 21, जुलाई, 2015

अनुरोध(विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता) स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(घ)(विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती नीरातोमर	रा0प्रा0वि0 कालसीगेट	कालसी	C	रा0प्रा0वि0 गोपीवाला अनारवाला	सहसपुर	B

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

पू0सं0: प्र0राज(बे0)-01/ 1834-41 /स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत स्थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोपरांत ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-01/ 117 / स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक 21, जुलाई, 2015

अनुरोध(विधवा,तलाकशुदा एवं परित्यक्ता शिक्षक) स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(च)(विधवा,तलाकशुदा एवं परित्यक्ता शिक्षक) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4600 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुसुम शर्मा	रा0प्रा0वि0ढाकी	सहसपुर	B	रा0प्रा0वि0 कारगी-1.	रायपुर	A

(पदमेन्द्र सकलानी)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)-01/ 1842-49 / स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),

देहरादून।


कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा), मयूरविहार, देहरादून।

आदेश संख्या: प्र0राज(बे0)-01/ **111** /स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक **21**, जुलाई, 2015

अनुरोध(विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता) के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-2 संख्या: 201(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 दिनांक 21 मई 2013 के उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013(यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुरोध की श्रेणी में नियम-11(3)(घ)(विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता) अनुसार स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक वेतनक्रम 9300-34800, ग्रेड वेतन-4200 को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर उपलब्ध रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया जाता है।


क्र0 सं0	अध्यापक का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चन्द्रावती रावत	रा0प्रा0वि0 कांसवाली	सहसपुर	D	रा0प्रा0वि0 सुद्धोवाला	सहसपुर	B	
2	संगीता मितल	रा0प्रा0वि0 साहिया छानी	कालसी	D	रा0प्रा0वि0 चकराता रोड, देह0	रायपुर	A	औपबन्धिक


(पदमेन्द्र सकलानी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।

पृ0सं0: प्र0राज(बे0)-01/ **1794-1801** /स्थाना0(प्रा0वि0)/2015-16, दिनांक : उक्तांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद देहरादून।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी जनपद देहरादून।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे उत्तराखण्ड शिक्षक(विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अधीन जिस नियम/प्रस्तर/कैटेगरी के अन्तर्गत स्थानान्तरण हुआ है से सम्बन्धित अभिलेख की भली भांति शासनादेशानुसार में निहित प्राविधानों के तहत जांचोपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें। सम्बन्धित अध्यापक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका का कार्यभार मुक्त होने से विद्यालय शिक्षक विहीन न हो, बिना व्यवस्था किये हुए एकल विद्यालय से शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार से मुक्त न किया जाय। कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्थानान्तरण हेतु उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण करते हैं।
7. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार मुक्त होने से पूर्व अपने विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने की अनुमति के पश्चात् ही विद्यालय से कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।


जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0),
देहरादून।